न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 132/2003

आरसीएमएव नं. :– 2003/00007

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार/राजस्व/ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. भोमाराम पुत्र मनसुख जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।

1/1 किस्तूरी देवी धर्मपत्नी
1/2 इन्द्राज सिह पुत्र
1/3 रोहताश पुत्र
1/4 कमलादेवी पुत्री
1/5 रोशनी देवी पुत्री
1/6 सिलोचना पुत्री
1/7 राजबाला पुत्री
1/8 शकुन्तला पुत्री
1/9 संतोष पुत्री

} भोमाराम जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी भादरा, दिनांक 01.02.2003, प्र. सं. 787/2002
अनवान भोमाराम बनाम सरकार

उपस्थितिः–

श्री राजेश कौशिक, अभिभाषक अपीलार्थी

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांक 30.9.2022

1. यह प्रकरण वर्ष 2003 से विचाराधीन चल रहा है। लगभग 19 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार पुराने प्रकरणों का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। अपील को अनंत काल तक नहीं चलाया जा सकता है, इसलिए प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा का एक वाद पेश किया जिमसें कथन कियाकि ग्राम भाडी के ख. नं. 24 में 179/07 बीघाभूमि गैरमुमकिन गोचर के नाम दर्ज है। उक्त भूमि में से 8 बीघा भूमि वादी के पुराने कब्जा काश्त में चली आ रही है। वादी के कब्जा काश्त की 8 बीघा भूमि राजस्व अधिकारियों ने गलत तौर से गैर मुमकिन गोचर में शामिल करके किया है। भूमि गैर मुमकिन गोचर दर्ज रहने से प्रतिवादी ने वादी को तुरन्त बेदखल करने की धमकी दी है। यदि वह अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए वादी को उक्त भूमि का खातेदार घोषित किया जावे एवे प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। विचारण न्यायालय ने वादी का वाद स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

3. रेस्पोडेण्ट की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया। राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि गोचर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसे आवंटित नहीं किया जा सकता है। रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय से वास्तविक तथ्यों को छिपाकर व न्यायालय को गुमराज कर विधि विरूद्ध तरीके से खतोदारी अधिकार प्राप्त किये हैं जो काबिल अपास्तनीय है। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में जिरह का मौका नहीं दिया गया ना ही वाद मे कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। रेस्पोडेण्ट ने वाद पत्र बिना धारा 80 जाब्ता दीवानी के तहत नोटिस दिये पेश किया है। पत्रावली विधिक परीक्षण के हेतु जिला कलक्टर कार्यालय में चली गई थी इसलिए नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

7. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। अपीलाण्ट द्वारा अपील में फार्म नं. 3 के साथ प्रस्तुत गांव भाडी की जमाबन्दी संवत 2055 प्रस्तुत की गई है। इस जमाबंदी में प्रश्नगत भूमि गैरमुमकिन गोचर दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि खातेदारी अधिकारों की घोषणा के समय के समय प्रश्नगत भूमि गैरमुमकिन गोचर भूमि थी, जिसके किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रावधानों में भी ये प्रतिबंधित है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.02.2003 निरस्त किये जाते हैं। तहसीलदार भादरा को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि का कब्जा प्राप्त कर इस न्यायालय को 7 दिवस में सूचित करें। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 30.9.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/9/22
(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास करतार सिंह पूनियॉ आर0ए0एस0

अपील संख्याः– 132 / 2003
आरसीएमएव नं. :– 2003 / 00007

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार / राजस्व / तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

——अपीलार्थी

बनाम

1. भोमाराम पुत्र मनसुख जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।

1 / 1 किस्तूरी देवी धर्मपत्नी
1 / 2 इन्द्राज सिह पुत्र
1 / 3 रोहताश पुत्र
1 / 4 कमलादेवी पुत्री
1 / 5 रोशनी देवी पुत्री
1 / 6 सिलोचना पुत्री
1 / 7 राजबाला पुत्री
1 / 8 शकुन्तला पुत्री
1 / 9 संतोष पुत्री

भोमाराम जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

—— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी भादरा, दिनांक 01.02.2003, प्र. सं. 787 / 2002
अनवान भोमाराम बनाम सरकार

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री राजेश कौशिक, राजकीय अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस समायत की जाकर अपील स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.02.2003 निरस्त किये जाते हैं। तहसीलदार भादरा को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि का कब्जा प्राप्त कर इस न्यायालय को 7 दिवस में सूचित करें।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 30.9.22 को जारी की गई।

30/9/22

(करतार सिंह पूनिया) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़